



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/सीआईआर/715

24.10.2024

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: RoDTEP दावों के लिए वार्षिक RoDTEP रिटर्न (ARR) दाखिल करने की शुरुआत के संबंध में

संदर्भ: DGFT सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2024-25

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि DGFT कार्यालय ने विदेश व्यापार नीति, 2023 के भाग के रूप में RoDTEP दावों के लिए वार्षिक RoDTEP रिटर्न (ARR) दाखिल करने के लिए 23 अक्टूबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 4.94 में बताई गई यह नई आवश्यकता RoDTEP लाभों का दावा करने वाले निर्यातकों को अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ARR जमा करने के लिए बाध्य करती है, जिसकी शुरुआत सभी 8-अंकीय HS कोड में 1 करोड़ रुपये से अधिक के दावों से होती है।

इस नोटिस के मुख्य पहलू:

- **ARR प्रस्तुत करना:** 2023-24 में दायर दावों के लिए 31 मार्च, 2025 तक देय।
- **गैर-अनुपालन:** लाभों से इनकार करना और 30 जून, 2025 के बाद कोई और दावा नहीं करना, जब तक कि संयोजन शुल्क का भुगतान न किया जाए।
- **विलंबित प्रस्तुतीकरण शुल्क:** 30 जून, 2025 तक 10,000 रुपये और उसके बाद 20,000 रुपये।
- **अभिलेख रखरखाव:** शुल्क छूट दावों का समर्थन करने वाले भौतिक या डिजिटल अभिलेखों को पाँच वर्षों तक रखा जाना चाहिए।
- **आवधिक मूल्यांकन:** ARR की उचित सावधानी के लिए समीक्षा की जा सकती है, जिसमें अतिरिक्त दावों के लिए धनवापसी/समर्पण की आवश्यकता होती है।

विस्तृत सूचना निम्न लिंक पर देखी जा सकती है:

[https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/4c208b04-bd1c-4983-a87c-3d6c59051b2f/PN%2027%20\(English\).pdf](https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/4c208b04-bd1c-4983-a87c-3d6c59051b2f/PN%2027%20(English).pdf)

हम सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान दें और इसका अनुपालन करें।

सादर अभिवादन,

भारती पारावे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद